



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2015/चैत्र 10, 1937

No. 666]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2015/ CHAITRA 10, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31मार्च, 2015

का.आ. 891(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 94 की उप-धारा (5) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियां और कार्य, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग के प्रादेशिक निदेशकों को इस शर्त के अधीन प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकेगी या उक्त धारा के अधीन शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकेगी, यदि उसके मत में ऐसी कार्रवाई लोकहित में करना आवश्यक है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/6/2014-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

S.O. 891(E).— In exercise of the powers conferred by Section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, Noida, Ahmedabad, Hyderabad and Shillong, the powers and functions vested in it under sub-section (5) of Section 94 of the Companies Act, 2013, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sub-section, it in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/6/2014-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.